श्री यशपाल आर्य
मा0 मंत्री समाज कल्याण

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

प्रधान कार्यालय : निदेशालय जन जाति कल्याण परिसर
भगत सिंह कलोनी, देहरादून फोन : 0135-26755226

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मा0 मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड

प्रदेश में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु निगम द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा पोषित एवं उक्त वर्ग से सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के वित्त एवं विकास निगमों के आर्थिक सहयोग से अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

(1) स्वतः रोजगार योजना :– अनुसूचित जाति के परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में रू० 52800/– एवं शहरी क्षेत्र में रू० 64920/– वार्षिक आय है, को विभिन्न आर्थिक आयजनित योजनाओं के संचालन हेतु कृषि, सेवा, व्यवसाय, पशुपालन, फ्लोरी कल्चर, यातायात आदि रोजगार परक व्यवसाय करने हेतु रू0 20000/– से 7.00 लाख तक का ऋण राष्ट्रीयकृत/सहकारी/ग्रामीण बैंको के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें अधिकतम रू० 10,000/– शासकीय अनुदान दिए जाने का एवं रू० 20,000/– से अधिकतम लागत की परियोजनाओं में लागत का 25% मा0म0 ऋण 4% ब्याज दर पर दिये जाने का प्राविधान है। अनुसूचित जनजाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय उपरोक्तानुसार है को भी विभिन्न परम्परागत एवं आधुनिक व्यवसायों में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 20000/– से 7.00 लाख का राष्ट्रीयकृत/सहकारी/ग्रामीण बैंको के माध्यम से ऋण दिये जाने का प्राविधान है, उक्त के सापेक्ष अधिकतम रू० 10,000 शासकीय अनुदान राशि की सुविधा अनुमन्य है।

(2) दुकान निर्माण :– उपरोक्त वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति के परिवार जिनके पास शहरी क्षेत्र, अर्द्धशहरी क्षेत्र, अथवा व्यवसायिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र में स्वयं की निजी भूमि उपलब्ध हो को स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 8x12 फुट साथ में 4x12 के बरामदा सहित दुकान निर्माण हेतु रू0 75000/–मैदानी क्षेत्र में तथा रू0 85000/– पर्वतीय क्षेत्रों के ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दिये जाने का प्रविधान है जिसकी अदायगी 120 समान किश्तों में की जाएगी।

(3) शिल्पी ग्राम योजना :– पर्वतीय क्षेत्रों एवं मैदानी क्षेत्रों में समय–समय पर कुछ न कुछ परम्परागत शिल्प प्रचालित रहे हैं। (जैसे अल्मोड़ा का ताम्र कार्य, पिथौरागढ़ का ऊनी व्यवसाय, बागेश्वर जनपद में रिंगाल व्यवसाय, चम्पावत में लौह व्यवसाय एवं चर्म कार्य, रामनगर के ताम्र एवं काष्ठ कला, उत्तरकाशी ऊनी व्यवसाय, चमोली ऊनी एवं रिंगाल) ये परम्परागत शिल्प अपने अस्तित्व एवं पहचान धीरे–धीरे खो रहे हैं। इन शिल्पों के सम्बर्धन एवं परिवर्द्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना का संचालन किये जाने का प्राविधान किया गया है। इन योजना के अन्तर्गत इन शिल्पों के मास्टर ट्रेनर का चिन्हांकित कर बेरोजगार अनुसूचित जाति जनजाति के बेरोजगार नव युवको को निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान है।

(4) जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना :– राज्य सरकार द्वारा पोषित इन योजना के अन्तर्गत बेरोजगार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारो को स्वतः रोजगार योजनाा के अन्तर्गत बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है जिसमें अधिकतम रू० 10,000 शासकीय अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। परिवार की वार्षिक आय उपरोक्त स्वतः रोजगार योजना के समान होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के अर्न्तगत कौशल पुर्नवासन प्रोत्साहन, कौशल वृद्धि एवं कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किए जाने का प्राविधान है।

(5) कौशल वृद्धि :– राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांगों जो बेरोजगार है तथा जिनमें कोई न कोई कौशल प्रचलित है, उनके लिए उनकी अभिरूचि एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार विभिन्न रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं जाने का प्राविधान है। प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें अपना स्वः रोजगार प्रारम्भ करने हेतु ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है।

(6) राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजनों के आर्थिक विकास हेतु उन्हे राष्ट्रीय स्तर के वित्त एवं विकास निगमों द्वारा रियायती ब्याज दर पर रोजगार प्रारम्भ करने हेतु उक्त सुविधा उपलब्ध है। उक्त सभी योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी जो इस निगम के पदेन जिला प्रबन्धक भी हैं से सम्पर्क स्थापित कर योजना की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है तथा उक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु उन्ही के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण भरकर वहीं जमा किया जा सकता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन–जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के जनपदीय कार्यालयों का पता व दूरभाष :–

क्र०सं०	जनपद	पता	दूरभाष
1	अल्मोड़ा	विकास भवन, अल्मोड़ा	05962–235564 / 9456310926
2	बागेश्वर	दुग बाजार, बागेश्वर	05963–221355, 221334 / 9456366075
3	चम्पावत	कलक्ट्रेट, चम्पावत	05965–230307
4	पिथौरागढ़	जी0आई0सी0 लिंक रोड, पिथौरागढ़	05964–225444, 227475 / 8057540555
5	नैनीताल	शिल्पी हाट, पुरानी आई0टी0आई0 बिल्डिंग, बरेली रोड, हल्द्वानी	9410727244
6	ऊधमसिंहनगर	विकास भवन, उधमसिंहनगर	05944–242593 / 9411167490
7	चमोली	सिनेमा मार्ग, गोपेश्वर	01372–252216 / 9761173333
8	पौड़ी गढ़वाल	विकास भवन, पौड़ी गढ़वाल	01368–222375 / 8909889911
9	रूद्रप्रयाग	पुरानी कलक्ट्रेट, रूद्रप्रयाग	01364–233528 / 9557559750
10	टिहरी गढ़वाल	विकास भवन, टिहरी गढ़वाल	01378–227236 / 9410368486
11	उत्तरकाशी	विकास भवन, लदाड़ी, उत्तरकाशी	01374–223731 / 9412922837
12	हरिद्वार	विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार	01334–239743 / 9634466561
13	देहरादून	सर्वे चौक, ई0सी0 रोड, देहरादून	0135–3240763 / 9927641800

डा0 वी0 षणमुगम
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक,

अर्ध0थ0पत्र सं0/168/बह0नि0/ 2018

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

देहरादून, दिनांक 09/03/ 2018

प्रिय प्रधान जी,

आप अवगत ही होगें कि प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 2001 में उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया। निगम द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण आपको संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने ग्राम सभा में निवासरत उक्त वर्ग के परिवारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित करने हेतु प्रस्ताव/आवेदन पत्र अपने विकासखण्ड के माध्यम से या सीधे अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शासन की इन कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत आपके सहयोग से सभी लक्षित समूह के आर्थिक रूप से पिछड़े उक्त समुदाय के परिवारों को लाभान्वित कराया जा सके।

आशा है आपका सहयोग सदैव प्राप्त होगा तथा आपकी सहभागिता से ग्राम सभा के लक्षित समूह के कमजोर व्यक्तियों को शत–प्रतिशत लाभान्वित कराया जा सकेगा।

शुभकामनाओं सहित,

संलग्न : यथोपरि

भवदीय,

(डा0 वी0 षणमुगम)

श्री .....प्रधान जी,

ग्राम सभा : .....

विकासखण्ड : .....

जनपद : .....